

श्रीमान श्रीमान मण्डल राजव
 श्रीमान श्रीमान मण्डल राजव
 20/1/94
 31/1/94

न्यायालय श्रीमान मण्डल राजव



नानदादीन तय गंगादीन पटेल उम्र 70 वर्ष पेशा खेती
 निवासी ग्राम पिपरिया पो 0 पिपरिया तहसील अमपुर
 जिला शहडोल मण्डल 0

R/15/94

बनाम

1:- पिपरिया कौल आयु 70 वर्ष आत्मज स्ववकील कौल

पिपरिया

निवासी ग्राम कुतहा

2:- जेट्ट कौल आयु 65 वर्ष आत्मज स्ववकील कौल

कुतहा

निवासी ग्राम कुतहा

दोनों निवासी तहसील अमपुर जिला शहडोल मण्डल 0

3:- रामकिशोर आयु 70 वर्ष आत्मज स्वगंगादीन पटेल

4:- अकशरण आयु 60 वर्ष आत्मज स्वगंगादीन पटेल

5:- नानदादीन आयु 50 वर्ष आत्मज स्व गंगादीन पटेल

निवासी ग्राम पिपरिया तहसील अमपुर जिला शहडोल मण्डल 0

Shri S.P. Mishra

प्रत्यक्षीणी

Supdt.
 Commissioner's
 Rewari 3-1-94

आर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण

क्रमांक 518/ए-6/87-88 में पारित आदेश

दिनांक 1-10-93 के विरुद्ध मण्डल 0 भू राजव

की धारा 44 के अधीन आती

आदेश के आधार

आपीलाथी का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है:-

1:- अधिनियम न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि

के अन्तर्गत विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने की


31/1/94

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक अपील 5/1994

जिला शहडोल

नानबाबू विरुद्ध पियारे कोल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-11-2015	<p>आवेदक अभिभाषक को उनकी ओर से प्रस्तुत वारिसान आवेदन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अभिभाषक द्वारा एक आवेदन दिनांक 02-11-15 को अनावेदक क्रमांक 2 छोटू कोल की मृत्यु होने से उसके वारिस को रिकार्ड पर लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा आदेश 22 नियम 4 के आवेदन में अनावेदक की मृत्यु दिनांक का उल्लेख नहीं किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की है। इस न्यायालय से पेशी दिनांक 3-9-14 को रजिस्टर्ड सूचना अनावेदकगण को भेजने पर अनावेदक क्रमांक 2 के सुखसेन उपस्थित हुये थे। आवेदक को दिनांक 10-12-14 को ही आवेदक अभिभाषक को अनावेदक क्रमांक 2 की मृत्यु होने की जानकारी थी। आवेदक अभिभाषक द्वारा निर्धारित समय-सीमा में वारिसान आवेदन पेश नहीं करने एवं विधिवत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र के प्रस्तुत नहीं करने से यह अपील अवैट की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस भेजे जायें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p></p> <p>(डा० मधु खरे) सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</p>	